प्रेस विज्ञप्ति

14.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद में अकुला किशन [पूर्व आईएफएस (भारतीय वन सेवा)] और अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 13.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने हैदराबाद के सीआईडी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जाँच शुरू की। यह मामला कथित उल्लंघनों से संबंधित है, जिसमें ए. किशन ने एक आधिकारिक पद पर रहते हुए, अन्य व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश महिला सहकारी वित्त निगम (एपीडब्ल्यूसीएफसी) से धन की हेराफेरी की। अप्रैल 2005 और 2008 के बीच हुई धोखाधड़ी की गतिविधियों में अनियमित नियुक्तियाँ, अनधिकृत भूमि लेनदेन और अनियमित खरीद को सुगम बनाने के लिए प्रक्रियात्मक उल्लंघन शामिल थे। उन्होंने एपीडब्ल्यूसीएफसी की संपत्तियों का दुरुपयोग करते हुए इसके भवनों के कुछ हिस्सों को पट्टे या किराये पर दिया, बेईमानी से बड़ी रकम निकाली और निगम तथा सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि ए. किशन ने एपीडब्ल्यूसीएफसी में सेवा करते हुए, कुछ व्यक्तियों की वफ़ादारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन के बिना अवैध नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ कीं, और बाद में उनका उपयोग अपात्र और संबंधित व्यक्तियों और बेनामी लोगों को बिना उचित ज़मानत या दस्तावेज़ों के 15.39 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने के लिए किया, जो अक्सर इंदिराम्मा महिला उपाधी पाठकम (आईएमयूपी) ऋण कार्यक्रम के तहत हस्तलिखित नोटों पर आधारित होते थे। इसके अलावा, ए. किशन ने सीईओ वी. संतोष कुमार के साथ मिलकर गुप्त बैंक खाते खोले, फ़र्ज़ी समझौते किए, एपीडब्ल्यूसीएफसी के नाम पर 7.5 करोड़ रुपये एकत्र किए, और धनराशि को निजी खातों और सहयोगियों में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने बिना निविदाओं के, बढ़ी हुई दरों पर कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, सेल फोन, प्रिंटिंग मशीन और वाहन भी खरीदे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। परिणामस्वरूप, ए. किशन ने एपीडब्ल्यूसीएफसी और अन्य के साथ धोखाधड़ी की, जिससे 23.46 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ और अपराध की आय का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए किया।

ईडी ने इससे पहले पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ए. किशन और अन्य की 1.26 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।